



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-14102026-277141
CG-TL-E-14102026-277141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5393]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948

No. 5393]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 6 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5607(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20 'च' की (उप-धारा-6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिये नीचे दी गई तालिका के स्तंभ(2) में उल्लिखित मध्यस्थ को नियुक्त करती है, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावित है। सक्षम अधिकारी की यह नियुक्ति उक्त तालिका के स्तंभ(3) में उल्लिखित जिले जो की महाराष्ट्र राज्य में "छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - अंकाई दोहरीकरण" और "दौलताबाद गुड्स साइडिंग प्रकल्प" परियोजना के संबंध में ऐसी विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के परियोजना से संबंधित है।

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी	जिला
1	2	3
1	अप्पर जिला अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर,	छत्रपती संभाजीनगर

[फा. सं. E-313959/Arbitrator/071026]

मोहित वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण -I

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 6th October, 2026

S.O. 5607(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 20F of the Railway (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of “**Chhatrapati Sambhajnagar (Aurangabad) – Ankai**” Doubling & “**Daulatabad Goods Siding**” projects in the state of Maharashtra relating to district mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

TABLE

Sl. No.	Officer	District
1	2	3
1	Additional District Collector, District Collector Office, Chhatrapati Sambhajnagar	Chhatrapati Sambhajnagar

[F. No. E-313959/Arbitrator/071026]

MOHIT VERMA, Chief Engineer/Con-I